



शाहजहांपुर पुलिस

प्रेस नोट सराहनीय कार्य दिनांक 25.10.2024

थाना रोजा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी

“थाना रोजा पुलिस द्वारा 25000 रुपये का इनामिया वांछित अभियुक्त साजन गुप्ता को किया गिरफ्तार”

श्रीमान पुलिस अधीक्षक शाहजहांपुर के कुशल निर्देशन, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक नगर व श्रीमान क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल प्रयत्न में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना रोजा पर पंजीकृत मु0अ0स0 817/23 धारा 380,457 भा0द0वि0 में 27/05/2024 से वांछित चल रहे अभियुक्त साजन गुप्ता पुत्र रामसेवक गुप्ता निवासी मोहल्ला आदर्श नगर कालोनी गली नं0 17 थाना रोजा शाहजहांपुर, जिस पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा पुरस्कार राशि 25000 रु0 घोषित की गयी थी को आज दिनांक 25/10/2024 को मुखबिर की सूचना पर समय करीब 07.05 बजे हाण्डा प्लाईओवर के नीचे थाना रोजा पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त की निशादेही पर चोरी गये 10000 रुपये बरामद किये गये। अभियुक्त को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

संक्षिप्त विवरण :-

दिनांक 24/12/2024 को वादी मुकदमा की लिखित तहरीर के आधार पर थाना रोजा पर मु0अ0स0 817/23 धारा 380,457 भा.द.वि बनाम अज्ञात चोर पंजीकृत होकर विवेचना प्रचलित है। मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध गैर जामनती वारण्ट जारी किया गया था। मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्त साजन गुप्ता पुत्र रामसेवक गुप्ता निवासी मोहल्ला आदर्श नगर कालोनी गली नं0 17 थाना रोजा शाहजहांपुर जो दिनांक 27/05/2024 से वांछित चला रहा था, जिस पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा पुरस्कार राशि 25000 रु0 घोषित की गयी थी, आज दिनांक 25/10/2024 को मुखबिर की सूचना पर समय करीब 07.05 बजे हाण्डा प्लाईओवर के नीचे रोजा पुलिस टीम द्वारा वांछित अभियुक्त साजन गुप्ता उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त की निशादेही पर चोरी गये 10000 रुपये बरामद किये गये।

गिरफ्तार अभियुक्त :-

1. साजन गुप्ता पुत्र रामसेवक गुप्ता निवासी मोहल्ला आदर्श नगर कालोनी गली नं0 17 थाना रोजा शाहजहांपुर उम्र करीब 21 वर्ष

बरादमगी :-

1. रुपये 10000 नगद

पंजीकृत अभियोग :-

1. मु0अ0स0 817/23 धारा 380,457,411 भा0द0वि0 थाना रोजा जनपद शाहजहांपुर

गिरफ्तारी स्थान व समय :-

1. दिनांक 25/10/2024 समय करीब 07.05 बजे हाण्डा प्लाईओवर के नीचे

अपराधिक इतिहास :-

1. मु0अ0स0 817/2023 धारा 380/457/411 भादवि
2. मु0अ0स0 64/2024 धारा 3/25 आर्मस एक्ट
3. मु0अ0स0 191/2022 धारा 147/148/149/323/325/504/506 IPC व 3(2)V एससी /एसटी एक्ट
4. मु0अ0स0 272/2022 धारा 3/25 आर्मस एक्ट
5. मु0अ0स0 653/2021 धारा 399/402 भादवि
6. मु0अ0स0 195/2020 धारा 13 जुआ अधिनियम

गिरफ्तार व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम :-

1. प्रभारी निरीक्षक राजीव कुमार
2. उ0नि0 वेदपाल सिंह पुन्डीर
3. हे0का0 569 हरनाम सिंह
4. का02157 विशाल अष्टवाल
5. का0 845 अर्कित
6. का0 2018 गौरव धीमान

गिरफ्तार पूछताछ :-

पूछताछ पर अभियुक्त साजन गुप्ता पुत्र रामसेवक गुप्ता निवासी उपरोक्त ने बताया कि पिछले साल दिसम्बर में मैं अपने साथी मोहित व कुन्दन के साथ मिलकर मो0 आदर्श नगर कालोनी में रात्रि में सुग्रीव के घर में छत के रास्ते जीने से गये थे जीना खुला हुआ था और परिवार वाले बाहर कमरे में सो रहे थे उनके मकान के अन्दर कमरे में रखी अलमारी का ताला तोड़कर हमने जेवरात कुछ सोने व कुछ चाँदी के जेवर एवं कुछ रुपये चोरी कर लिये थे । उसके बाद दिल्ली चला गया था मैंने कहा था की रुपयों का बटवारा कर लेंगे मेरे दोनो साथी मोहित और कुन्दन मेरे जाने के बाद पुलिस पकडकर जेल भेज दिये थे दिल्ली जाते समय में चोरी के 10000 रुपये पैतापुर रोड पर एक पिन्नी में रखकर मिट्टी खोदकर दबा/छुपा दिये थे बाकी रुपये में अपने साथ दिल्ली ले गया वो रुपये मुझसे खर्च हो गये कल ही में दिल्ली से आया था और आज पुलिस ने पकड लिये और वो 10,000 रुपये भी मैंने पुलिस को पैतापुर रोड मिट्टी से निकालकर दे दिये ।